

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/04

दिनांक: 08.09.2021

 सेवा में,
 श्री असगर अली
 पुत्र श्री अकबर अली
 ग्राम - भगवंत नगर,
 तहसील - स्वार, जनपद - रामपुर-244924
 उत्तर प्रदेश

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 17.08.2021 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 17.08.2021 का क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 21.08.2021 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	टावर लोकेशन संख्या 42/3, 43/0 के मध्य अब तक जिन लोगों को मुआवज़ा दिया गया है उनका नाम, पिता का नाम. मुआवज़े की धनराशी का विवरण उपलब्ध कराएं।	आपके प्रश्नों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मांगी गयी जानकारी किस पारेषण लाइन से सम्बन्धित है। कृपया पारेषण लाइन का नाम, खसरा संख्या जिसमें टावर स्थित है एवं पावरग्रिड द्वारा दी गयी नोटिस की प्रति उपलब्ध करायें, जिससे वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।
2.	शाहनवाज़ पुत्र नरेशे निवासी ग्राम - भगवंत नगर तहसील-स्वार को किस गाटा संख्या में वृक्ष क्षति का कितना मुआवज़ा दिया गया है।	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

 श्री संजय गुप्ता
 कार्यपालक निदेशक,
 पावरग्रिड उ०क्षे० - 3
 12 राणा प्रताप मार्ग,
 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,



 [राणा प्रताप]
 महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
 पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
 पावरग्रिड, लखनऊ